न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बीरबल बनाम मुकेश

म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा० पत्र अस्थाई निषेध० प्रकरण - 74/2020

16.05.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
74 / 2020	2020 / 00176	20.10.2020	16.05.2025

उनवान प्रकरण

1. बीरबल पुत्र रामचन्द्र आयु 50 वर्ष
2. अर्जुन पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी बुर्जा की की तन मन्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रार्थीगण––

बनाम्

1. मुकेश पुत्र रामकरण आयु 26 वर्ष
2. किशनलाल पुत्र गिरधारीलाल
3. रूकमा देवी पत्नि पप्पूराम
4. पूरण पुत्र रामकरण
5. शिम्भू पुत्र राधेश्याम मृत्तक के बजायः–

5/1. सुनिता पत्नी शिम्भू

5/2. सतपाल पुत्र शिम्भू

5/3. महेश पुत्र शिम्भू

5/4. महिपाल पुत्र शिम्भू

5/2 से 5/4 नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता सुनिता देवी पत्नी स्व. शिम्भू समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी बुर्जा की तन मन्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. गिरधारीलाल पुत्र लादूराम
7. वंशीधर पुत्र लादूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

8. हजारीलाल पुत्र लादूराम
समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी बुर्जा की तनम न्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

10. उपपंजियक अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

11. पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितः—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 6 की ओर से अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र गौड, एड0 अप्रार्थी संख्या– 5/1 से 5/4 की ओर से अभिभाषक।

श्री भारत भूषण, एड0 अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञाअंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2105, 2105/2853, 2444, 2445, 2446, 2465, 2475, 2476, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488 कुल किता 14 कुल रकबा 5.88 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.76 हैक्टर तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त भूमियों की खातेदारी प्रार्थीगण एवं तरतीबी पक्षकार के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है एवं शेष हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकित है। उक्त वर्णित भूमियों का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमियों का अभी तक कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रत्येक ईन्च–ईन्च पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण के मन में वर्तमान समय में जमीनों की बढती हुयी कीमतो के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3.

बदयान्ति आ गयी है तथा अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप मे उपयोग करने मे अप्रार्थीगण आये दिन अवरोध कारित करते रहते है तथा बात–बात को लेकर झगडे फिसाद एवं मारामारी करने पर उतारू हो जाते है। इसलिए उक्त भूमि का प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की शामिल खातेदारी मे काश्त किया जाना असंभव हो गया है तथा प्रार्थीगण अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की वर्णित भूमियों को बाला–बाला बिना विधिक बंटवारा करवाये ही भूमियों के विशिष्ठ भू–भाग को दीगर भूमाफियो को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने एवं स्वयं कब्जा करने एवं भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकीयां दे रहे है व कुचेष्टा कर रहे है जिनको शामलाती भूमियों का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से अप्रार्थीगण मान नही रहे है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि मुतनाजा का बंटवारा नहीं होने से प्रार्थीगण को सख्त हकतलफी है। भूमियो का विभाजन नहीं होने से अप्रार्थीगण की बेजा हरकतों से प्रार्थीगण का भूमि को शामिल में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि का विधिक बंटवारा करवाया जाकर खातेदारी अलग–अलग अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है तथा अप्रार्थीगण को बिना बंटवारे के शामलाती भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने, दीकर को बैचान करने या स्वयं का विशिष्ट भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नही है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की वर्णित भूमि को बढती हुयी कीमतो के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओं को विशिष्ठि भू–भाग को बेचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करने एवं कब्जा कराने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नही रहे है तथा धमकी दे रहे हैं कि [illegible] ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ठ भाग पर रोड वाली पर कब्जा [illegible] शामलाती भूमि से बेदखल करेंगें तथा भूमि को अकृषि भूमि मे बदलेंगे [illegible] दीगर भूमियावृत्ति के लोगो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

5

विक्रय करेंगे एवं उनका कब्जा करवायेंगे। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ट जगह पर स्वयं का कब्जा कर लिया या दीगर भूमियावृत्ति के लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया या भूमि में निर्माण कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील कर दिया तो प्रार्थीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमियों से बैजा तौर पर महरूम हो जावेगे। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की वर्णित भूमि का बंटवारा करवाने हेतु अप्रार्थीगण को कहा तो वे पूर्व में तो बंटवारा कराने हेतु लिये आजकल–आजकल करते रहे व टहलाते रहे प्रार्थीगण ने दिनांक 14.10.2020 को अप्रार्थीगण को बंटवारा कराने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने भूमियो कानूनी बटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एवं उपजाउ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एवं कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त विशिष्ठ भू–भाग पर दीगर भूमाफियाओं का कब्जा कराने एवं जबरन ताकत के बल पर विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण करने की एहलानियां धमकी देने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2105, 2105/2853, 2444, 2445, 2446, 2465, 2475, 2476, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488 कुल किता 14 कुल रकबा 5.88 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.76 हैक्टर वाके ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 को बिना विधिक बंटवारा कराये दीगर अजनबी भूमाफियावृत्ति के लोगो को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा दानलेख से अन्तरित नही करे ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखे ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ठ भाग पर कोई अवेध कब्जा आदि आदि करने का प्रयास करे ना ही उक्त भूमियों के किसी भी भू–भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करें, ना ही दीगर व्यक्ति से ... एवं तरतीबी पक्षकार के हिस्से के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त,रिहायश में कोई मुजाहमत ना तो स्वयं करें ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तीसर से कराये ना ही उक्त भूमियो में प्लाटिंग करे ना ही स्वयं का कब्जा करे। उक्त अधीन भूमि के बाबत प्रस्तुत होने वाले किसी भी अन्तरण लेख, विकय लेख, रहन लेख इत्यादि को तस्दीक नही करे, ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से लाभान्वित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम स्थगन पर वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त खसरा नम्बरान बाबत जवाब टी०आई० पेश किये जाने तक पाबंद किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 2, 3 व 6 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। वकील प्रार्थीगण ने दिनांक 18.11.2020 को प्रस्तुत कायम मुकामी प्रार्थना बाबत अप्रार्थी नम्बर 5 को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया, जिसको स्वीकार किए जाने में वकील अप्रार्थी ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकामी अप्रार्थी नम्बर 5 स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण नम्बर 7 व 8 की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश हुआ। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश कर बहस सुनी जाने का निवेदन किया, जिस पर बहस सुनी गई। बहस से यह स्पष्ट होता है कि वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई. में चाहा गया संशोधन केवल मात्र टंकण की अशुद्धि से होना तथा उक्त संशोधन से प्रकरण हाजा की नोईयत पर कोई प्रभाव नहीं पडना प्रकट होता हैं अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई. की मद संख्या 3 में दर्ज खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.15 हैक्टर से आगे दर्ज पूर्वी–दक्षिणी व मद संख्या–5 मे दर्ज खसरा नम्बर 2487 में से 0.15 हैक्टर से आगे दर्ज पूर्वी–दक्षिणी व विशेष कथन की मद नम्बर 3 में दर्ज खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.15 हैक्टर से आगे दर्ज पूर्वी–दक्षिणी के स्थान पर केवल शब्द पूर्वी रखा जाकर दक्षिणी शब्द को विलोप करने के आदेश दिए जाते हैं तथा मद – 3, 5 विशेष कथन की मद नम्बर 3 से दक्षिणी शब्द को लाल स्याही से विलोपित किया जाता है। अप्रार्थी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

5/1 से 5/4 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। अप्रार्थी नम्बर 4 की ओर से भारत भूषण सामोता एड0 ने उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या–4 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 05.01.24 को अप्रार्थी संख्या– 4 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.02.22 बाबत अप्रार्थी संख्या– 4 की एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन को स्वीकार किए जाने में वकील प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वकील प्रार्थीगण के अनापत्ति के आधार पर अप्रार्थी संख्या–4 के विरूद्ध पूर्व में की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या–4 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियॉ 2105, 2105/2853, 2444, 2445, 2446, 2465, 2475, 2476, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488 कुल किता 14 कुल रकबा 5.88 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.76 हैक्टर तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त भूमियों की खातेदारी प्रार्थीगण एवं तरतीबी पक्षकार के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है एवं शेष हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकित है। उक्त वर्णित भूमियों का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमियों का अभी तक कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रत्येक ईन्च–ईन्च पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण के मन में वर्तमान समय में जमीनो की बढती हुयी कीमतो के कारण बदयान्ति आ गयी है तथा अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के [illegible] ग करने में अप्रार्थीगण आये दिन अवरोध कारित करते रहते है [illegible] फसाद एवं मारामारी करने पर उतारू हो जाते है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण या उभय पक्षकारान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को स्थगन आदेश से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबन्द किए जाने का निवेदन अपनी बहस मे किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भूमि खसरा नम्बर प्रार्थीगण अदालत हाजा के सम्मुख सही एवं वास्तविक स्थिति प्रकट करते हुए शुद्ध हस्त से नही आये हैं । इसलिए कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मौके पर भूमिया अलग–अलग विभक्त होकर अलग–अलग काश्त किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपने विधिक हक हिस्से व खातेदारी भूमि का बैचान अप्रार्थी नम्बर 2 व 3 को विधिवत रूप से विक्रय लेख पंजीबद्ध कराया जाकर मौके पर अपने स्वयं के कब्जे काश्त वाली भूमि मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 व 3 को मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा भी भूमि खसरा नम्बर 2484 में से उत्तरी तरफ का 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.20 हैक्टर उत्तरी तरफ का व खसरा नम्बर 2487 में से 0.15 हैक्टर पूर्वी तरफ का तथा खसरा नम्बर 2109 में से अपने हिस्से 1/8 का 0.30 हैक्टर का सम्भलाया जा चूका हैं । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–2 व 3 से बेवजह रंजिश रखते है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मनघडन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो वास्तविक नही होकर अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 3 व 6 को हैरान व परेशान करने हेतु प्रस्तुत किए गए है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व [illegible] पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार [illegible] 2074–2077, विक्रय लेख दिनांक 01.10.2020 की फोटो प्रति व लिखापढ़ी दिनांक 15.09.2020 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमिया संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिनका विधिक बंटवारा नही हुआ है। प्रस्तुत दावा तकारमे से संबंधित है लेकिन वादग्रस्त खसरान भूमियों की जमाबंदी के अवलोकन एवं दावे व टी.आई. की प्लीडिंग से से कहीं भी यह प्रदर्शित/खुलासा नही होता है कि प्रतिवादी/अप्रार्थीगण संख्या–2 व 3 जो उक्त भूमियों में कही खातेदार भी दर्ज नही है, फिर भी तकारमे के दावे में उन्हे पक्षकार क्यो बनाया गया। वकील प्रार्थीगण ने टी.आई. बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 15.09.2010 को 50 रूपए के स्टॉम्प पर एक लिखावट हुई थी कि अप्रार्थीगण मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा उक्त लिखापढी के कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमयो पर अग्रक्रयाधिकार प्राप्त है साथ ही इन्ही भूमियों हेतु सिविल कोर्ट में भी एक दावा इन्होंने पेश कर रखा है जिसमें 19.05.23 को दावे के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमियो के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश हो चुके है। ऐसी स्थिति मे एस्टोपल से बाधित होने से प्रतिवादी संख्या–1 वादग्रस्त भूमियों से अपने हिस्से को बेचान नहीं कर सकता। जबकि मूल टी.आई. में उक्त लिखावट आदि का कही कोई उल्लेख नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 का दौराने बहस कथन था कि 2010 की जो लिखावट अधिवक्ता प्रार्थी बता रहे है उसका कहीं भी उल्लेख इनके दावे व टी.आई. में नहीं है ओर ये दावे की प्लीडिंग से बाहर जाकर बहस कर रहे है साथ ही उस तथाकथित लिखावट में उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान का भी कही कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही अग्रक्रयधिकार अधिनियम ना तो राजस्थान राज्य में लागू है और ना ही राजस्व भूमियों पर लागू होता है इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय/साईटेशन दिनांक 27 सितंबर 1994 अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश की तथा निवेदन किया है कि मूल दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. में 2010 की लिखावट का कही उल्लेख नहीं होने , राजस्व भूमियों पर अग्रक्रयाधिकार लागू नहीं होने तथा दावा मात्र तकारमे का होने से प्रतिवादी संख्या [illegible] नहीं जा सकता। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने [illegible] अप्रार्थी संख्या–1 को होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा [illegible] दृष्टया मामला उसका बनता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या–2 व 3 की तरफ से निवेदन किया है कि उन्होनें प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या–1 का संपूर्ण हिस्सा दिनांक 01.10.2020 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद किया था जिसके नामांतरण को रोकने के लिए ही उक्त स्थगन आदेश दिनांक 20.10.2020 को प्राप्त किया गया है। चूंकि वे सदभावी केता है, विधिवत जरिए रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद कर आये है। अतः उन्हे रिकार्ड पर लिया जाना अति आवश्यक है तथा हम भी बंटवारे के लिए तैयार है। जमाबंदी में नाम नही चढने से वे अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है। अतः हमें अपूर्णिय क्षति हो रही है जबकि सद्भावी केता होने के कारण प्रथम दृष्टवा मामला उनका बनता है। अतः टी.आई खारिज फरमाये। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के तर्को का विरोध करते हुए टी.आई. स्वीकार किए जाने का निवेदन किया कि अन्यथा स्थिति में प्रकरण में वादबहुलता बढेगी अतः टी.आई. तादौराने वाद फैसला स्वीकार फरमाये। अपार्थी संख्या–4 के अधिवक्ता भारत भूषण एवं अप्रार्थी संख्या–5 के अधिवक्ता जितेन्द्र गौड ने उभय पक्ष को पाबंद किये जाने की शर्त पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि:–

1. प्रार्थीगण द्वारा 2010 की जिस लिखावट का उल्लेख दौराने अपनी बहस में किया गया है उसका उल्लेख या उसके आधार पर किसी भी अनुतोष की मांग अपने दावे एवं प्रार्थना पत्र टी.आई. में नहीं की गई है।
2. जहां तक अग्रक्रयाधिकार अधिनियम का प्रश्न है राज. राज्य में प्रभावी नहीं है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तुत साईटेशन दिनांक 27 सितंबर 1994 है कि राजस्व भूमियों के सहखातेदारों पर अग्रक्रयाधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा साईटेशन यहां पूर्णतः लागू होती है।
3. वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा मात्र तकास्मे का है तथा प्रार्थना पत्र टी. आई. संयुक्त खातेदारी भूमि होने से बिना विधिवत बंटवारे के तकास्मे होने तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियों बाबत पाबंद करने के अनुतोष पर आधारित है, साथ ही वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दावे के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में स्पष्टतः अंकन है कि "नामांतरकरण संख्या 1037 दिनांक 09.10.2020 बेचान खसरा नम्बर राजस्व ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.76 हैक्टर हिस्सा 1/8 भूमि एवं खसरा नम्बर 2105, 2105/2853, 2444, 2445, 2446, 2465, 2475, 2476, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488 [illegible] 14 रकबा 5.88 हैक्टर हिस्सा 1/8 भूमि का विक्रय पर मुकेश पुत्र राम[illegible] किशनलाल पुत्र गिरधारी, मुकेश पुत्र रामकरण से रूकमा [illegible] प्रक्रियाधीन है" का नोट लगा हुआ है। अतः उक्त तथ्य [illegible] के संज्ञान में होने के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

10

बावजूद वादीगण / प्रार्थीगण ने अपने दावे में कहीं भी उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया है तथा बिना जमाबंदी में खातेदार दर्ज होते हुए भी किशनलाल पुत्र गिरधारी व रूकमा पत्नी पप्पूराम को क्रमशः प्रतिवादी / अप्रार्थीगण संख्या–2 व 3 संयोजित किया है जबकि इनके विरूद्ध कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 2 व 3 के अप्रार्थी नम्बर 1 से भूमि क्रय के तथ्यों को छुपाते हुए मात्र दिनांक 09.10.2020 से प्रक्रियाधीन नामांतकरण को रोकने की मंशा से दिनांक 20.10.2020 को उक्त दावा प्रस्तुत कर टी.आई. प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है।

4. साथ ही दावा तकास्मे का प्रस्तुत किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या–2 व 3 ने स्वयं तकास्मे हेतु तैयार होना अपनी बहस में स्वीकार किया है।

ऐसी स्थिति में दिनांक 09.10.2020 से प्रक्रियाधीन नामांतकरण को रोके जाने का कोई जायज कारण प्रतीत नहीं होता है ना ही इससे तकास्मे के दावे की नोयत पर कोई विपरीत प्रभाव पडना प्रतीत होता है।

– :: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रश्नगत प्रकियाधीन नांमांतारण दिनांक 09.10.2020 को नियमानुसार स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाकर उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे तादौराने फैसला वाद वादग्रस्त जायगा 2105, 2105/2853, 2444, 2445, 2446, 2465, 2475, 2476, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488 कुल किता–14 रकबा 5.88 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.76 हैक्टर तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। कृषि कार्य करने पर उक्त पाबंदी लागू नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)